(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–1, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 57 (आर0ई0–2013)/2009–2014</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 09 अप्रैल, 2014

विषयः मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, अधिसूचना सं.77 (आरई–2013)/2009–14 दिनांक 27.03.2014 के अनुसरण में मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

2. दिनांक 27.03.2014 की अधिसूचना सं.77 (आरई–2013)/2009–14, के द्वारा 2014–15 से 2016–17 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव गणराज्य को दालों की निम्नलिखित मात्राओं के निर्यात को अनुमत किया गया थाः

वर्ष	मी. टन में मात्रा
2014–15	87.85
2015–16	96.63
2016–17	106.29

3. अब, यह निर्णय लिया गया है कि मालदीव गणराज्य को दालों की उपरोक्त मात्रा का निर्यात मैसर्स पीईसी लि. के माध्यम से अनुमत किया जाएगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

27.03.2014 की अधिसूचना सं.77 के अनुसार मालदीव गणराज्य को दालों का निर्यात मैसर्स पीईसी लि. के माध्यम से अनुमत होगा।

(मधुसूदन प्रसाद)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/171/59/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)